



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E.mial-academicprsu@gmail.com



क्रमांक : 1611 / अका. / 2014

रायपुर, दिनांक : 15 / 10 / 2014

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23(1)(IV) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति महोदय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2012/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 08.10.2014 के द्वारा डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आचार्य श्रेणी से कार्यपरिषद् में सदस्य मनोनयन किया गया है।

इनका कार्यकाल आदेश की तिथि से 3 वर्ष या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पहले होगा।

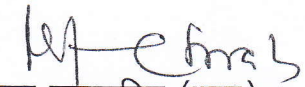
आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 1612 / अका. / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 15 / 10 / 2014

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
 02. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 05. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 06. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को,
 07. समस्त विभागीय अधिकारी,
 08. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

